बिहार सरकार

वित्त विभाग

पटना, दिनांक–24–01–2025

विज्ञापन सं०–1/स्था०(बि०स०से०)–01/2025–01/वि०, वित्त विभाग, बिहार सरकार के अधीन बिहार सचिवालय सेवा के अंतर्गत प्रशाखा पदाधिकारी के कुल 18 रिक्त पदों पर संविदा नियोजन हेतु सुयोग्य उम्मीदवारों से विहित प्रपत्र में आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। आवेदन भरने हेतु विस्तृत दिशा–निर्देश वित्त विभाग, बिहार, सरकार के वेबसाईट https://state.bihar.gov.in/finance/CitizenHome.html के नोटिस बोर्ड में प्रदर्शित है।

2. रिक्त पदों का कोटिवार विवरण निम्नवत है:–

क्र०सं०	कोटि	अनुमान्य पदों की कुल संख्या	पुरूषों के लिये अनुमान्य पदों की कुल संख्या	महिलाओं के लिये अनुमान्य पदों की कुल संख्या
1	अनारक्षित वर्ग	07	05	02
2	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	02	02	00
3	अनुसूचित जाति	03	02	01
4	अनुसूचित जनजाति	00	00	00
5	अत्यन्त पिछडा वर्ग	03	02	01
6	पिछड़ा वर्ग	02	02	00
7	पिछड़े वर्गों की महिला	01	—	01
कुल		**18**	**13**	**05**

2.	सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक–2526 दिनांक–18.02.2016 के आलोक में राज्य के वैसे स्वतंत्रता सेनानियों जिन्हें केन्द्र द्वारा पेंशन स्वीकृत है, के पोता/पोती/नाती/नतीनी के लिये आरक्षित (2%) कुल पदो की संख्या	शून्य

3. दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के आलोक में निःशक्तता से ग्रस्त उम्मीदवारों के लिए 04 (चार) प्रतिशत आरक्षित कुल पदों की संख्या		
(i)	दृष्टि बाधित (VI)	01
(ii)	अस्थि दिव्यांग (OH)	00
(iii)	मुक बधिर (DD)	00
(iv)	मनोविकार दिव्यांगता/बहु दिव्यांगता	00
कुल		**01**

3. **मानदेय–** संविदा पर नियोजित सेवानिवृत सरकारी सेवकों का मासिक मानदेय उन्हें प्राप्त होने वाले अंतिम वेतन+सेवानिवृति के समय अंतिम वेतन पर प्राप्त महँगाई भत्ता के योगफल की राशि में से पेंशन की राशि+सेवानिवृति के समय पेंशन की राशि पर प्राप्त महँगाई राहत की राशि को घटाने के बाद जो राशि प्राप्त होगी, वही होगा। मासिक मानदेय की यह राशि उक्त सेवानिवृत सरकारी सेवक के संविदा अवधि में कार्यरत रहने की तिथि तक स्थिर रहेगी।

4. **उम्र सीमा–** आवेदक की अधिकतम् उम्र सीमा दिनांक–15.02.2025 को 64 वर्ष होनी चाहिए। चयन प्रथमतः 02 वर्षों, अथवा उक्त पद पर नियमित नियुक्ति/प्रोन्नति होने तक, के लिए होगा तथा अधिकतम उम्र सीमा 65 वर्ष तक आवश्यकतानुसार एक–एक वर्ष के लिए उनकी सेवा का विस्तार उनके कार्यों की समीक्षा के उपरांत किया जा सकेगा। विशेष परिस्थिति में संविदा नियोजित कर्मियों का संविदा विस्तार सामान्य प्रशासन विभाग की सहमति से 65 वर्ष के बाद भी, 67 वर्ष तक किया जा सकेगा।

Nupur/Niraj Sir/Office order

5. **आरक्षण–** आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा एवं आरक्षण का लाभ बिहार सरकार के प्रचलित आरक्षण नियमों एवं इस नियमावली के अनुसार और बिहार सरकार के सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र के आधार पर ही देय होगा।

6. **चयन की प्रक्रिया–** विभाग स्तरीय चयन समिति की अनुशंसा पर प्रशाखा पदाधिकारी के पदों पर संविदा के आधार पर उम्मीदवारों की चयन किया जायेगा।

7. उम्मीदवारों को बिहार सरकार के अंतर्गत प्रशाखा पदाधिकारी के पद से सेवानिवृत होने का प्रमाण पत्र देना आवश्यक होगा।

8. इनके द्वारा किये जा रहे कार्यों की समीक्षा समय–समय पर की जायेगी और यदि कार्य संतोषजनक नहीं हो तो संविदा रद्द की जा सकेगी।

9. बिहार सचिवालय सेवा के प्रशाखा पदाधिकारी क पद से सेवानिवृत होने वाले सरकारी सेवक नियोजन के लिये पात्र माने जायेंगे।

10. नियोजन हेतु सरकारी सेवकों का चयन किये जाते समय उनके सरकारी कार्य हेतु स्वस्थ्य होने के संबंध में असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण पत्र आवश्यक होगा।

11. आवेदक के विरूद्ध कोई आपराधिक अथवा अनुशासनिक कार्रवाई/विभागीय कार्रवाई/आरोप लंबित नहीं हो/संचालित नहीं हो तथा किसी अनुशासनिक/आपराधिक मामलें में सेवा काल में कोई दण्ड नहीं दिया हो। इससे संबंधित शपथ पत्र संलग्न करना आवश्यक होगा।

12. विहित प्रपत्र में आवेदन दिनांक–12.02.2025 (अपराह्न 05:00 बजे) तक पूर्ण बायोडाटा/सेवा इतिहास हाथो–हाथ अथवा स्पीड पोस्ट अथवा विभागीय **ई–मेल–finsecy-bih@nic.in** के माध्यम से वित्त विभाग, बिहार, पटना में उपलब्ध कराना आवश्यक होगा। निर्धारित अवधि के पश्चात् प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा। किसी भी आवेदन पत्र को स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार सक्षम पदाधिकारी का होगा।

13. विहित आवेदन–पत्र के साथ निम्न अभिलेख/कागजात संलग्न करना आवश्यक होगा :–

(i) जाति प्रमाण–पत्र (आरक्षण कोटि हेतु लागू),

(ii) महालेखाकार द्वारा निर्गत पी.पी.ओ. की छायाप्रति,

(iii) अद्यतन पासपोर्ट साईज रंगीन फोटोग्राफ,

(iv) अंतिम प्राप्त मूल वेतन से संबंधित कोई साक्ष्य,

(v) प्रशाखा पदाधिकारी के पद पर नियुक्ति/प्रोन्नति/कार्यकारी प्रभार संबंधी आदेश की प्रति

(vi) वित्त विभाग में पदस्थापन संबंधी आदेश की प्रति (यदि हो)।

(vii) 05 वर्षों का वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन।

24/1/2025

(आदित्य कुमार झा)
विशेष कार्य पदाधिकारी।

Nupur/Niraj Sir/Office order

<u>वित्त विभाग, बिहार, पटना में प्रशाखा पदाधिकारी (संविदा) के पद पर नियोजन हेतु आवेदन–पत्र</u>

विज्ञापन संख्या–01 / स्था०(बि०स०से०)–01 / 2025–**01**

1.	सेवानिवृत्त प्रशाखा पदाधिकारी का नामः– (मोबाईल नं0)	
2.	अभ्यर्थी के पिता / पति का नाम :–	
3.	जन्म तिथि :–	
4.	वर्तमान पता :–	
5.	स्थायी पता :–	
6.	नियुक्ति तिथि :–	
7.	नियुक्ति का स्त्रोत :–	
7.	सेवानिवृत्ति की तिथि :–	
8.	विभाग का नाम, जहाँ से अभ्यर्थी सेवानिवृत्त हुआ है :–	
9.	विभिन्न विभागों में अलग–अलग कार्यानुभव की अवधि :–	
10.	अभ्यर्थी के विरूद्ध कोई आपराधिक वाद / निगरानी वाद / विभागीय कार्यवाही लंबित है या नहीं?	
11.	क्या अभ्यर्थी आरक्षण की श्रेणी में आता है? यदि हाँ तो कोटि :–	
12.	क्या आवेदक द्वारा सभी वांछित अभिलेख संलग्न किया गया है?	

तिथि :..

स्थानः ....

आवेदक का हस्ताक्षर